

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर जिला नीमच में प्रस्तावित गंगाबावड़ी जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु वनमंडल नीमच की 43.149 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 23-06-2025

स्थान: भोपाल

Digitally signed by

Kshitij Kumar

Date: 23-06-2025

11:50:58

(क्षितिज कुमार)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं

पदेन उप सचिव,

म.प्र. शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)